रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2005/श्रावण 6, 1927
No. 796] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2005/SRAVANA 6, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2005

का. आ. 1069 (अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 441(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को यथाशीघ्र किंतु अधिकतम 9 फरवरी, 2005 तक प्रस्तुत कर देगा"।

[फा. सं. 14011/175/99-दिल्ली-I (पार्ट)]

के. एस. सुगाथन, संयुक्त सचिव

नोट : न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 441(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 31 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 302(अ), दिनांक 28 सितंबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 971(अ), दिनांक 28 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 345(अ), दिनांक 1 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1055(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 359(अ) के दिनांक 3 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1165(अ), दिनांक 23 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 389(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 871(अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1203(अ) तथा 30 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1431(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2005

S.O. 1069(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 441(E), dated the 8th May, 2000, namely :—

In the said notification, for the paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"3. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than the 9th February, 2005".

[F. No. 14011/175/99-Delhi-I (Pt.)]

K. S. SUGATHAN, Jt. Secy.

Note : The principal notification, appointing Justice Nanavati Commission of Inquiry, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 441(E), dated the 8th May, 2000 and subsequently amended *vide* number S.O. 302 (E), dated the 31st March, 2001, S.O. 971 (E), dated the 28th September, 2001, S.O. 345 (E), dated the 28th March, 2002, S.O. 1055 (E), dated the 1st October, 2002, S.O. 359 (E), dated the 31st March, 2003, S.O. 1165 (E), dated the 3rd October, 2003, S.O. 389 (E), dated the 23rd March, 2004, S.O. 871 (E), dated the 30th July, 2004, S.O. 1203 (E), dated the 29th October, 2004 and S.O. 1431 (E), dated the 30th December, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.